Seventeenth Loksabha

>

Title: Demand to provide adequate land compensation to farmers whose land falls between Barbed wire fencing and zero point on International Borders.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले के सीमान्त किसानों, जिनकी जमीन भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उनकी वर्षों से लंबित समस्या और मांग की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जी व भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान के बाड़मेर जिले के 10 हजार से अधिक किसानों की लगभग 11,468 बीघा जमीन तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच फंसी हुई है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1992-93 में राजस्थान के चार जिलों से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा पर जब तारबंदी की गई तो कई किसान भूमिहीन हो गए । बॉर्डर पर जीरो पॉइंट तथा तारबंदी के मध्य में किसानों की लगभग 100 मीटर जमीन गई थी, उसके बावजूद कुछ किसानों को मात्र 1.5 मीटर जमीन का ही मुआवजा दिया गया । इस प्रकार विगत 28 वर्षों से इस जमीन का न तो मुआवजा मिला और न ही किसान इस जमीन पर खेती कर पाए हैं ।

महोदय, सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन किसानों की खातेदारी में है । ऐसे में किसान उनकी जमीन का हक लेने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक गए, लेकिन अभी तक किसानों को जमीन न तो खेती के लिए मिली है और न ही जमीन का मुआवजा उनको मिल सका है । उच्च न्यायालय, राजस्थान ने भी बीएसएफ को मामले का निस्तारण करने पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक निस्तारण नहीं हुआ है । बीएसएफ ने कई बार कहा कि हम फेंसिंग के गेट खोलकर खेती की अनुमति दे देंगे, जैसे गंगानगर व पंजाब में खेती होती है, लेकिन यहां बाड़मेर में 4 या 5 किलोमीटर दूर एक गेट खोलना वहां के किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है ।

महोदय, कुछ ऐसी ही स्थिति जैसलमेर व बीकानेर जिलों के सीमांत किसानों की है, जहाँ राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसान की दर्शा रही है, लेकिन उसे तारबंदी के लिए ले लिया गया है परन्तु किसानों को उसका हक नहीं दिया गया है ।

महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से और आपसे आग्रह है कि बाड़मेर जिले के हजारों किसानों के साथ बीकानेर व जैसलमेर जिले के किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर किसानों के साथ वार्ता करके किसानों को उनकी माँग के अनुरूप मुआवजा दिया जाए । जो किसान खेती करना चाह रहे हैं, उन्हें खेती करने की अनुमति देने हेतु फेंसिंग पर नजदीक गेट खोले जाएं ताकि किसानों को समस्या न हो और इस मामले का जल्द से जल्द सरकार निस्तारण करे ।

महोदय, यह बड़ी समस्या है और इस पर आप सरकार को निर्देशित करें ।